न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा
पीठासीन अधिकारी– उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

अपील संख्या–07 / 2021 (सू0 का अधि0)
जीसीएमएस नं0 2021 / 103

विजय सिंघल निवासी–7 रेल्वे हाउसिंग सोसायटी, बजरंग नगर, पुलिस लाईन, कोटा राज0 324001

–अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा कोटा।

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक :– 09 / 6 / 2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विजय सिंघल निवासी–7 रेल्वे हाउसिंग सोसायटी, बजरंग नगर, पुलिस लाईन, कोटा के द्वारा दिनांक 25.01.2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी, एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहॉ एक प्रार्थना पत्र प्रेषित कर निम्न सूचना चाही गई–

1. सतीश चन्द्र गुप्ता (पी.पी.ओ. नं0 764059R) को जारी मेडिकल डायरी क्रमांक 0144456 निरस्त करने के बाबत मेरे द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.2020 की प्रमाणित प्रति ।
2. उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.2020 पर कोषाधिकारी, कोष कार्यालय कोटा द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति ।

उपरोक्त सूचना नहीं मिलने पर प्रार्थी अपीलांट द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय में 12.3.2021 को पेश की गई जो दिनांक 6.4.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी, एवं अति0 जिला कलक्टर, कोटा से टिप्पणी एवं रेकार्ड तलबी हेतु लिखा जाने पर लोक सूचना अधिकारी एवं

जिला कलेक्टर
कोटा

अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा अपने पत्रांक/ सूचना/ प्रथम–अपील / (प–22/21)/2021/184 दिनांक 15.4.2021 से टिप्पणी एवं पत्रावली भिजवाई गई । अपीलार्थी को भी जरिये सूचना पत्र तलब किया गया । किन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ ।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा ने अपनी टिप्पणी में अवगत कराया है कि "आवेदक द्वारा अपने आवेदन से सतीश चन्द्र गुप्ता को जारी मेडिकल डायरी क्रमांक 0144456 निरस्त करने के बाबत विजय सिंघल द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.2020 की प्रमाणित प्रति व उक्त प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही संबंधी सूचना चाही गयी है । सूचना का सम्बन्ध कोषाधिकारी से होने से कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट कोटा को पत्र लिखा गया । कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट कोटा से प्राप्त सूचना कुल 01 पृष्ठ पर उपलब्ध है । आवेदक से तीस दिवस के भीतर ही इस कार्यालय के पत्रांक/68 दिनांक 4.2.2021 से आवेदक श्री विजय सिंघल को 01 पृष्ठ के हिसाब से 2/– (दौ रूपये मात्र) राजकोष में जमा कराने हेतु पत्र लिखा गया जो कि आदिनांक तक आवेदक द्वारा जमा नहीं किये गये । यदि आवेदक नियमानुसार शुल्क जमाराज करवाता है तो सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर कोटा द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणी एवं रेकार्ड से जाहिर आया है कि आवेदक अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना की फीश जमा हेतु लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियत अवधि एक माह के भीतर लिखा जाने के उपरान्त भी आवेदक अपीलार्थी द्वारा फीस जमा कर सूचना प्राप्त नहीं की गई है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा तैयार की जा चुकी है अपीलांट वांछित फीस राशि जमा कर सूचना प्राप्त कर सकते है । अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)
अपील अधिकारी एवं
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा